सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0-155/2021 दिनांक- 26-मार्च-2021

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना बिलरियागंज

पुलिस मुठभेड़ में अवैध तमंचा व कारतूस के साथ दो अभियुक्त गिरफ्तार

आगामी त्रिस्तरिय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित,ईनामिया अभियुक्तो की गिरफ्तारी विषयक चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद आजमगढ़ व क्षेत्राधिकारी सगड़ी जनपद आजमगढ़ के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 27.03.2021 को थानाध्यक्ष बिलरियागंज धर्मेन्द्र कुमार सिंह द्वारा मय हमराह द्वारा वांछित,ईनामिया अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु नसीपुर बाजार में मामूर थे कि मुखबिर ने बताया कि कुछ लोग एक स्कार्पियो वाहन से बनकट बाजार से बिन्दवल बाजार की तरफ आ रहे हैं । यह लोग रात्रि में पिकअफ में गोवंशीय पशुओं को चोरी छुपे लादकर वध हेतु बिहार ले जाते हैं। इस सूचना पर थानाध्यक्ष बिलरियागंज मय हमराह के शेखूपुर पुलिया के पास पहुँचे कि थोड़ी देर में बिन्दवल बाजार की तरफ से एक चार पहिया वाहन आता दिखाई दिया । जिसे टार्च की रोशनी से रोकने का इशारा किया गया तो पुलिस बल को अचानक देखकर लक्ष्य कर जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी पर फायर कर दिये । पुलिस पार्टी द्वारा प्रशिक्षित तरिके से अपना बचाव कर घेरकर आवश्यक बल प्रयोग कर शेखूपुर पुलिया से समय करीब 00.50 बजे रात्रि में पकड़ लिया गया । पकड़े गये व्यक्ति का नाम पता पुछने पर उन्होने अपना नाम क्रमशः 1. अली अहमद उर्फ पप्पू पुत्र इकबाल अहमद सा0 रसूलपुर व्यवहरा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ जिसके कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर एक अदद खोखा करातूस .315 बोर बरामद हुआ दूसरे ने अपना नाम (2) निजामुद्दीन अहमद उर्फ मप्पू पुत्र मुमताज सा0 हैदरगंज थाना मरदह जनपद गाजीपुर बताया तथा जिस स्कार्पियो गाड़ी से आ रहे थे उसके आगे व पीछे नम्बर प्लेट पर नं0 यू0पी0 50 एडी 0005 लिखा हुआ था । जिसे ई-चालान के माध्यम से चेक किया गया तो वाहन के रजिस्ट्रेशन व इंचन नं0 चेचिस नं0 में भिन्नता पायी गयी । पुलिस बल **पर** जानलेवा हमला ,गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर क्रमशः मु0अ0सं0 49/21 धारा 419/420/467/468/471/307/34 भा0द0वि0 बनाम (1) अली अहमद उर्फ पप्पू पुत्र इकबाल अहमद सा0 रसूलपुर व्यवहरा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ (2) निजामुद्दीन अहमद उर्फ मप्पू पुत्र मुमताज सा0 हैदरगंज थाना मरदह जनपद गाजीपुर व मु0अ0सं0 50/21 धारा 3/7/25/27 आयुद्य अधि0 थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ बनाम अली अहमद उर्फ पप्पू पुत्र इकबाल अहमद सा 0 रसूलपुर व्यवहरा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत कर अभियुक्तगण का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण

1. अली अहमद उर्फ पप्पू पुत्र इकबाल अहमद सा0 रसूलपुर व्यवहरा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ ।
2. निजामुद्दीन अहमद उर्फ मप्पू पुत्र मुमताज सा0 हैदरगंज थाना मरदह जनपद गाजीपुर ।

बरामदगी

1. एक अदद अवैध तमंचा .315 बोर व 01 अदद खोखा कारतूस .315 बोर ।

2. एक अदद वाहन स्कार्पियो वरंग सफेद नं 0 यू0पी0 50 AD 0005 चेचिस नं 0 MA1TA2SJXF2H49984 इंजन नं0 9JF4H20606 ।

पंजीकृत अभियोग

1. मु0अ0सं0 49/21 धारा 419/420/467/468/471/307/34 भा0द0वि0 थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

2. मु0अ0सं0 50/21 धारा 3/7/25/27 आयुद्य अधि0 थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण

1-थानाध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार सिंह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

2- उ0नि0 ओमप्रकाश यादव- द्वितीय थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

3- हे0का0 गोविन्द यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

4- हे0का0 उपेन्द्र कुमार यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

4-का0 विनय यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

5-का0 प्रमोद यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

6-का0 रविन्द्र यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

7- रि0का0 राकेश कुमार यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

8- म0का0 आरती सिंह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।